न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1446–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–07–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक–77/1999–00/निगरानी

.....

देवी पुत्र दमरू जाटव
निवासी–ग्राम भितरगवां, तहसील खनियाधाना
जिला–शिवपुरी

------आवेदक

विरूद्ध

1. गोकल
2. जलमा
3. रामदास, पुत्रगण हर्रू जाटव
4. महिला धनिया बेवा मुतिया
   निवासी– ग्राम भितरगवां, तहसील खनियाधाना
   जिला–शिवपुरी
5. मध्यप्रदेश शासन

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 3
श्री जादौन, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक देवी पुत्र दमरू के द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 190/110 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि अनावेदक क्र0 1 ग्राम भितरगवां के सर्वे क्रमांक 349 रकबा 0.46 है0, अनावेदक क्रमांक 2 ग्राम भितरगवां के सर्वे 330 रकबा 0.47 है0 एवं अनावेदक क्रमांक 3 ग्राम भितरगवां के सर्वे क्रमांक 348 रकबा 0.47 हैक्टर के भूमिस्वामी शासकीय अभिलेखों में अंकित हैं। आवेदक का इन तीनों ही सर्वे नम्बरों पर कब्जा अंकित है और वह इस भूमि पर खेती कर रहा है। सर्वे नम्बर 348 पर उनके द्वारा कुआं खोदा गया है । इन तीनों ही भूमिस्वामियों ने दिनांक 10.05.86 को मौखिक अनुबंध कर 15 प्रतिशत लगान कर जोतने और खेती करने को आवेदक को देना बताया गया । तब से आवेदक के द्वारा इस भूमि पर खेती करना बताया गया और अपने पक्ष में भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत होने के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया जाना प्राथित किया गया । प्रकरण में जांच व साक्ष्य आदि लेने और उन पर विचार करने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.01.99 को पारित किया गया। प्रकरण में आकस्मिक जांच के समय अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक व अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में अनियमितताओं और अवैधानिकताओं के प्रकाश में तहसील न्यायालय के आदेश को अपने प्र0क्र0 153/98—99/स्वमेंव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.12.99 द्वारा निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्र0क्र0 77/1999—00/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.07.2005 को निगरानी ठोस आधार के आभाव में निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अपर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लिखित आधारों से पृथक जाकर आदेश पारित किया गया था। ऐसा आदेश पूर्णतः अवैध है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने अपने विराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है। इस बिन्दू पर अपर आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण के पद—2 में आपत्ति की गई थी, परन्तु उस पर विधि अनुसार निर्णय नहीं किया गया । अधीस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक 1, 2 एवं 3 द्वारा कारण बताओं सूचना—पत्र का उत्तर दिनांक 24.08.99 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि कारण बताओं सूचना—पत्र निरस्त किया जाये तथा तहसील का आदेश वैध होने उसे स्थिर रखा जाये । उक्त उत्तर के पश्चात

अनावेदक क्रमांक 1, 2 एवं 3 द्वारा पुनः जो उत्तर प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है । उसकी प्रति आवेदक को नहीं दी गई थी और न ही आवेदक को उसका खण्डन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इस कारण वाद में प्रस्तुत किये तथाकथित उत्तर को आधार बनाकर विवादित आदेश में जो टिप्पणी की गई है वह आधारहीन एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के विपरीत है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक क्र0 1, 2, एवं 3 थे तथा उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित था। आवेदन का विवादित भूमि पर निरंतर आधिपत्य चला आ रहा था। यह आधिपत्य अनावेदक क्र0 1, 2 एवं 3 की सहमति से तथा उनकी जानकारी से था । इस कारण आवेदक को संहिता की धारा–169(दा–बी) के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकारी उद्भूत हो चुके थे। अनावेदक क्र0 1, 2 एवं 3 ने आवेदक का आधिपत्य हटाने हेतु कभी कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की थी। आवेदक का यह भी कथन रहा कि अनावेदक क्र0 1, 2 एवं 3 ने आवेदक को उपकृषक के रूप में कृषि कार्य करने हेतु भूमि दी थी। इस कारण भी आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके थे। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषकों द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण के द्वारा द्वारा आवेदक का जो जवाब दिया था, उसमें उनके द्वारा आवेदक के तर्को को अमान्य किया था और जवाब के पद 6 में यह भी बताया था कि जिस पर किसी भी व्यक्ति का अनाधिकत आधिपत्य होना अपराधिक कृत्य है। दिनांक 21.11.97 को अनावेदकों के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया था कि प्रश्नाधीन भूमि उनको शासन से पट्टे पर मिली थी। आवेदन–पत्र के पद 2 के अंतिम भाग में इसका उल्लेख है। पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन जो पेश किया गया है, उसमें इस बिन्दु को लुप्त रखा गया है। आवेदक के द्वारा अनावेदकों के इस तर्क का किसी भी स्तर पर खण्डन नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकों को शासन से पट्टे पर मिली थी। अतएव संहिता की धारा 165(7–ख) के प्रावधानों के प्रकाश में शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई भूमि को पट्टाग्रहीता उसका भूमिस्वामी बनने के

बाद भी कलेक्टर के लिखित अनुज्ञापत्र के बगैर किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने के लिये सक्षम नहीं होगा । इस प्रावधान के प्रकाश में अनावेदकों की भूमि आवेदक को बगैर कलेक्टर की अनुमति के अन्तरित होना संभव नहीं थी। इस प्रावधान से बचने के लिये आवेदक के द्वारा संहिता की धारा 190/110 का सहारा लिया गया है। दूसरे यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि के अन्तरण के लिय अन्तरणग्रहीता के पक्ष में भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करना होगा और उस पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के रूप में व्यय करना होगा और इससे शासन को आर्थिक प्राप्ति होगी। शासन को इस आय से वंचित करने और क्रेता को इस व्यय से बचाने के लिये आवेदक के द्वारा यह कार्यवाही अमल में लाई गई है।

6/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह भी पाया कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण ने अपने कथन नहीं दिये है, किन्तु जैसा कि ऊपर वर्णित है कि उनके द्वारा आवेदक के आवेदन का विरोध किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार ने अपने आदेश के पद 11 में तथ्यों के विपरीत यह उल्लेख किया है कि " प्रकरण में अनावेदकगण ने प्रतिवाद नहीं किया है" जो तथ्यों के विपरीत है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये संयुक्त उत्तर में उनके द्वारा यह बताया गया है कि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी घोषित करने का जो नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है वह उचित है। उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस को तथ्यों के विपरीत बता कर उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया । इस तथ्य से यह आभाष होता है कि आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन आदि देकर भूमि के इस अन्तरण के लिये सहमत किया गया है जो संहिता की धारा–165(7–ख) के प्रावधानों के विरूद्ध होकर मान्य योग्य नहीं है। इससे इस तर्क की पुष्टि होती है कि आवेदक के द्वारा संहिता के इन प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाने के लिये और पंजीयन मुद्रांक शुल्क के व्यय से बचने और शासन को आर्थिक क्षति पहुॅचाने के लिय यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है। इसी आधर पर अपर कलेक्टर, शिवपुरी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर द्वारा अपने विस्तृत आदेश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया गया । जिसमें कोई किसी प्रकार की अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं पाया जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत होने व विहित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत ही किया गया है।

7/ प्रकरण के अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में ग्राम के पटवारी और तत्कालीन नायब तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही करते समय जानबूझकर संहिता के प्रावधानों को अनदेखा किया है और आवेदक को अवैध रूप से लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। पटवारी द्वारा भी प्रतिवेदन देते समय इस बात को जानबुझकर छिपाया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त हुई थी, जिसमें अनावेदकगण बाद में भूमिस्वामी हो गये है। यदि शासकीय पट्टे पर आवेदक का अवैध कब्जा था तो अधिकार अभियान के तहत उसे क्यों नहीं प्रतिवेदित किया गया है और उसको हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी। इन सब बिन्दूओं को देखते हुये अपर आयुक्त ने दोनों की कर्मियों अर्थात् नायब तहसीलदार/पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश किये गये है। मैं अपर आयुक्त ग्वालियर के इस निर्णय से सहमत हूँ।

8/ उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर कलेक्टर, शिवपुरी ने अपने प्र0क्र0 153/98–99/स्वमेंव निगरानी में दिनांक 13.12.1999 को एवं न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने प्र0क्र0 77/1999–00/निगरानी में दिनांक 18.07.2005 को जो आदेश पारित किये है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखे जाते है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,